

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- १५ / 2019

तारीखरजू:- 14.8.19

उनवान:- प्यारेलाल आदि बनाग अनीता वगै०

दावा वावत डिबीजन ऑफ हॉल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाग
14.8.19	वादी की ओर से श्री कृष्ण कान्त गित्तल एडवोकेट ने दावा वावत डिबीजन ऑफ हॉल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 06.09.2019 को पेश हो। उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली
6.9.19	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं. 1, 2, 6, 8, 9, 10 की ओर से श्री राम भरोसी गुहा Adv. ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 3, 7, 11, 12 का कसूर सूचना उप० नहीं है। प्रतिवादी नं. 4, 5 के सम्मन अदम लागू नष्ट हुए ही P.O. सा० दोरे पर पधारे श्री आनंदा दिनांक 3.10.19 को पेश हो।
3.10.19	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं. 3, 7, 11, 12 के बिकरुद एक पक्षीय कार्रवाही की जाती थी प्रतिवादी नं. 4, 5 के एही पते पर पुनः सम्मन तलबका पेश करें। वास्ते तालकी व जबाब पेश करने दिनांक 5.11.19 को पेश हो।
5.11.19	बकुलाय उप०। गतानुसार वास्ते तालकी व जबाब पेशकले दिनांक 4.12.19 को पेश हो।
4.12.19	बकुलाय उप०। गतानुसार तालकी करने व जबाब पेश करने दिनांक 9.1.20 को पेश हो।
9.1.20	बकुलाय उप०। गतानुसार तालकी करने व जबाब पेश करने दिनांक 24.2.20 को पेश हो।

4070-81
16-8-19

उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

वादी रघुशिवदास द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्तावली भाग तख्त की गद्दीवादी ने इस कोषाध्य का प्रार्थना पत्र पेश किया है। कि वादी इस वादपत्र को चखाना नहीं चाहता है। वादपत्र को खिड़ी कर नवीन वादपत्र प्रस्तुत करने की स्वीकृति चाही है। प्रार्थना पत्र शामिल मिसल कर पत्तावली का भवविषय किया गया वादी दावा प्रस्तुत दावा डिक्लिन भाग होखिण का है। परिवर्तन की लागत नहीं हुई है। दावा प्रारम्भिक बटौर पर है। वादी इस दावे को वापिस लेकर नवीन दावा प्रस्तुत करना चाहता है।

अतः वादी प्रार्थना पत्र

स्वीकार किया जाकर दावा इसी स्तर पर खारिज कि जा जाया है। एवं वादी को नवीन दावा प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। पत्तावली कैलाशकुमार डेकर नम्बर से कम कर दाखिल इफरर है।



उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

Kee
16/3/2024
(K.K. Mishra)
Adv r